न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 15/2019 रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. श्री ललित रामचन्दानी पुत्र स्व. जयकिशन रामचन्दानी मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा निवासी – 103/1, चारभुजा विहार, जगजीवन पार्क के पास कांवाखेडा भीलवाडा – विक्रेता
2. श्री दीपक लछवानी पुत्र चन्द्रप्रकाश लछवानी, मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा
3. मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये रमेश चन्द्र सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जौन अजमेर

–विपक्षी

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 22.04.2019 प्रकरण सं. 28/2016 खाद्य सुरक्षा

उपस्थित –

1. श्री श्याम लाल आगाल अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.08.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी सं. 01 ने एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के विरूद्व आप न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण सं. 01 से लगायत 03 सबस्टैण्डर्ड शुगर बॉईल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट (पैक्ड) विकय करने के लिये दोषी मानते हुये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन होने एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं उस अनुसार आप न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि इस रूप में रही है कि उक्त पारित निर्णय में विपक्षीगण को बिना सुने ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया। आप न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2019 को जो निर्णय किया गया। इस दिन की कोर्ट तारीख पेशी विपक्षीगण अधिवक्ता को नहीं बतायी गयी। उक्त निर्णय बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श के बिना पारित किया गया । विपक्षीगण तीनों इस दुकान के न तो मालिक हैं, मात्र उस जगह बैठे हुये व्यक्ति को ही विपक्षी बना दिया गया। लिये गये सैम्पल में किसी प्रकार की मिलावट नही पायी गयी। सैम्पल न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया। सैम्पल मिस ब्राण्ड क्यों था इसका वर्णन नही किया गया। किसी भी प्रोविजन का उल्लघंन नही किया गया। विपक्षीगण छोटा व्यापारी है। अधिवक्ता संदीप आगाल उपस्थित नहीं होने से एक तरफा निर्णय किया गया जबकि बहस कब हुयी इसका वर्णन भी नहीं हैं। न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड दिया गया हैं इस विषय पर पुनः विचार किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पुनः विचार कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर

निर्णय किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2019 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 14 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण सं. 01 से लगायत 03 सबस्टैण्डर्ड शुगर बॉईल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट (पैक्ड) विक्रय करने के लिये दोषी मानते हुये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन होने एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं उस अनुसार आप न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि इस रूप में रही है कि उक्त पारित निर्णय में विपक्षीगण को बिना सुने ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया। आप न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2019 को जो निर्णय किया गया। इस दिन की कोर्ट तारीख पेशी विपक्षीगण अधिवक्ता को नहीं बतायी गयी। उक्त निर्णय बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श के बिना पारित किया गया। विपक्षीगण तीनों इस दुकान के न तो मालिक हैं, मात्र उस जगह बैठे हुये व्यक्ति को ही विपक्षी बना दिया गया। लिये गये सैम्पल में किसी प्रकार की मिलावट नही पायी गयी। सैम्पल न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया। सैम्पल मिस ब्राण्ड क्यों था इसका वर्णन नही किया गया। किसी भी प्रोविजन का उल्लघंन नही किया गया। विपक्षीगण छोटा व्यापारी है। अधिवक्ता संदीप आगाल उपस्थित नहीं होने से एक तरफा निर्णय किया गया जबकि बहस कब हुयी इसका वर्णन भी नहीं हैं। लोक अभियोजक को हाजरी माफी का कोई पावर नहीं हैं। इस हेतु हाईकोर्ट की रूलिंग निर्णय दिनांक से पूर्व पेश की जावेगी। न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड दिया गया हैं इस विषय पर पुनः विचार किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पुनः विचार कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार –"यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है, परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– " Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons."

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 28/2016 में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल आगाल द्वारा दिनांक 16.10.2017 को वकालतनामा पेश किया, विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। विपक्षीगण अधिवक्ता बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण का गुणावगुण पर दिनांक 22.04.2019 को निर्णित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उसमें प्रार्थीगण विपक्षीगण को बिना सुने निर्णय किया जाना अंकित किया हैं, जबकि विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश हुआ हैं। प्रकरण का निर्णय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज From VA, मौका फर्द दिनांक 25.08.2015, From VI, Report of the Food Analysis 10-09-2015 के आधार पर किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की दुकान से लिये गये शुगर बॉईल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट (पैक्ड) के सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण सं. 28/2016 न्याय निर्णयन आवेदन होने से साक्ष्य व प्रदर्श एवं जिरह की आवश्यकता नहीं रहती हैं। प्रार्थी विपक्षीगण द्वारा माननीय हाईकोर्ट की रूलिंग पेश नहीं की हैं। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 28/2016 निर्णय दिनांक 22.04.2019 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र में "रिव्यू के आधार में बिना साक्ष्य एवं दस्तावेज का परीक्षण किये ही निर्णय पारित किया जाना अंकित किया हैं।" जबकि इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 28/2016 निर्णय दिनांक 22.04.2019 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं। प्रकरण 28/23016 का निर्णय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज From VA, मौका फर्द दिनांक 25.08.2015, From VI, Report of the Food Analysis 10-09-2015 के आधार पर किया गया हैं। प्रकरण सं. 28/2016 न्याय निर्णयन आवेदन होने से साक्ष्य व प्रदर्श एवं जिरह की आवश्यकता नहीं रहती हैं। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये वह प्रकरण में जारी सम्मन के विधिवत तामील होने से एवं लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 के हस्ताक्षर होने से प्रकरण मे पुनः सुनवायी की जाना विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थीगण के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)